बाल विवाह रोकने हेतु "मानक संचालन प्रकिया" ("Standard Operating Procedure" (SOP))

भारत सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 10–48–07–पचास–2 दिनांक 26 नवम्बर 2007– बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (2007 का संख्याक 6) को मध्यप्रदेश में अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित किये जाने के उद्देश्य से बाल विवाह रोकने हेतु "मानक संचालन प्रकिया"("Standard Operating Procedure" (SOP) लागू की जाती है।

"मानक संचालन प्रकिया" ("Standard Operating Procedure" (SOP))

1. बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य–

- बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए **बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006** लागू किया गया है ।
- **"बालक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरूष है तो, 21 वर्ष की आयु पूरी नही की है, और नारी है तो, 18 वर्ष की आयु पूरी नही की है । (धारा 2(क)
- **"बाल–विवाह"**से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन मे आने वाले दोनों पक्षकारों मे से कोई बालक है । (धारा 2(ख)
- प्रत्येक बाल–विवाह, विवाह बंधन मे आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगा (धारा 3(1)
- बाल–विवाह को अकृतता की डिकी द्वारा बातिल करने के लिए, विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय मे अर्जी फाइल की जा सकेगी ।
- बाल–विवाह को अकृतता की डिकी द्वारा बातिल किये जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भवाहित प्रत्येक बालक सभी परियोजन के लिए धर्मज बालक समझा जायेगा । (धारा 6)

2. बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध –

(क) जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए, बाल–विवाह करेगा वह दो वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनो से दण्डित किया जायेगा । (धारा 9)

(ख) जो कोई किसी बाल–विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रेरित करेगा यदि कोई भी व्यक्ति किसी बाल विवाह को सम्पन्न करेगा, संचालित

करेगा या निर्दिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा वह दो वर्ष तक के कठोर कारावास से और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । (धारा 10)

(ग) जहां कोई बालक बाल-विवाह करेगा, वहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भारसाधन में, चाहे माता–पिता अथवा संरक्षक, या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधि पूर्ण या विधि विरूद्ध हैसियत मे, बालक है, जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है, जो विवाह का संवर्धन करने लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या उसके अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में उपेक्षापूर्ण असफल रहता है, जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है दो वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। (धारा 11)

- इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगे (धारा 15)

3. बाल विवाह की सूचना–

1. कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह तय होने, अनुष्ठान होने अथवा बाल विवाह सम्पन्न होने कीसूचना /जानकारी/विश्वास है, के द्वारा,
2. बालक/बालिका के माता–पिता अथवा अभिभावक के द्वारा,
3. स्वयं बालक/बालिका जिसका बाल विवाह हो रहा होके द्वारा,
4. शिक्षक, डॉक्टर, आंगनवाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह के सदस्य,ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्य,पड़ोसी के द्वारा,
5. अशासकीय संस्थाओं द्वारा,

संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस थाना या ग्राम पंचायत के सरपंच को मौखिक या लिखित रूप से या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है । (नियम 09)

4. बाल विवाह तय किए जाने अथवा उसका अनुष्ठान किया जाने वाला हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही–

- कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की लिखित या मौखिक सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस, ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को दे सकता है ।
- चूँकि बाल विवाह संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है, पुलिस बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र विधि अनुसार कार्यवाही करेगी ।
- बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित द्वारा यह सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को यथा शीघ्र दी जाएगी। (नियम 9(2)
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश के लिए न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत करेगा । (धारा 13(1)
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाहों के अनुष्ठापन का ऐसी कार्यवाही करके जो उचित समझे निवारण करेगा । (धारा 16(2)(क)
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करेगा। (धारा 16(2)(ख)
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह के अनुष्ठापन का संर्वधन करने, सहायता देने, या होने देने मे अंतरवर्लित न होने के लिए सलाह देगा, बाल विवाह के परिणामस्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैंदा करेगा । (धारा 16(2)(ग)(घ)
- बाल विवाह तय किये जाने या उसका अनुष्ठान किये जाने वाले की सूचना/जानकारी प्राप्त होने पर (लिखित, दूरभाष पर अथवा अन्य किसी माध्यम द्वारा) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी(बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी/दल के साथ अविलंब बालक/बालिका के निवास/विवाह स्थल पर पहुँचेंगे।

- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, या किसी व्यक्ति से परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन मे बाल विवाह तय किया गया या उसका अनुष्ठान किये जाने वाला है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है, के विरूद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले व्यादेश निकालेगा। (धारा 13(1)
- प्रथम वर्ग न्यायायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद बाल विवाह या बाल विवाह का अनुष्ठापन होने की संभाव्यता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकेगा । (धारा 13(2)
- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा । (धारा 13(3)
- न्यायालय द्वारा व्यादेश जारी करने पर जो कोई उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा उसे दो वर्ष तक के कारावास से या एक लाख रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनो से दण्डित किया जावेगा । (धारा 13(10)
- व्यादेश के उल्लंघन मे किया गया बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। (धारा 14)
- बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित द्वारा यह सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को यथा शीघ्र दी जाएगी। (नियम 9(2)
- साक्ष्यों के आधार पर यदि बाल विवाह तय किया जाना या अनुष्ठान किया जाने वाला है, यह सत्य पाया जाता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी बालक/बालिका के अभिभावकों व गवाहों के बयान पर प्रपत्र–एक व दो में रिपोर्ट तैयार करेंगे। (परिशिष्ट–1)
- बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले व्यादेश को ग्राम/वार्ड में मुनादी कराई जाएगी जिससे वहॉ के समस्त नागरिकों को इस आदेश की जानकारी हो ।

- रोके गए बाल विवाह का फॉलो अप किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि बालक/बालिका का पुनः विवाह तो नही किया जा रहा/किया गया है।
- बाल विवाह के पीडित बालक/बालिका, किशोर न्याय अधिनियम (देखभाल व संरक्षण) के अधीन देखभाल व सुरक्षा के अधिकारी हैं। अतः उनके पुनर्वास हेतु एक्ट अनुसार कार्यवाही की जावे। बालक/बालिका को माता–पिता के संरक्षण से हटाकर व पुनर्वासित करने का निर्णय अंतिम उपाय होना चाहिये और केवल बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए ही लिया जाना चाहिये। (जे.जे. अधि. 2015 की धारा 39)

5. बाल विवाह सम्पन्न हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही

- बालक/बालिका का बाल विवाह सम्पन्न हो जाने की सूचना/संज्ञान पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी/दल (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी जॉच कर (साक्ष्यों की जॉच– आयु प्रमाणीकरण, बयान,व अन्य संबंधित बिन्दु) प्रपत्र–एक व दो में रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
- बाल विवाह प्रमाणित हो जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी(बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी)प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट/बाल कल्याण समिति को अधिनियम की धारा 16 के उप धारा (5) के अनुसार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 व 13 के अधीन बालक/बालिका को राहत दिलाने हेतु, बालक/बालिका के साथ न्यायालय को रिपोर्ट (प्रपत्र–एक व दो) के साथ आवेदन करेंगे। (धारा 16 उपधारा 5)

6. प्रचार –प्रसार

- ग्राम स्तर, विकास खंड स्तर एवं जिला स्तर पर बाल विवाह सूचना तंत्र (शासकीय, अशासकीय एवं विवाह के सेवा प्रदाता), बाल विवाह रोकने हेतु दल का गठन एवं कंट्रोल रूम की स्थापना की जावे।
- कंट्रोल रूम, चाईल्ड लाईन, महिला हेल्प लाईन, उमंग हेल्प लाईन, पुलिस थाना, कलेक्टर, एस.पी.,एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं अन्य संबंधित महत्वपूर्ण कार्यालयों के दूरभाष नम्बर का प्रचार प्रसार किया जावेगा।
- उन ग्रामों, विकासखंडों व जिलों को चिन्हित किये जावे जहॉ बाल विवाह अधिक हो रहे हैं। क्षेत्र विशेष के लिए बाल विवाह के कारणों को ज्ञात कर कार्ययोजना तैयार की जाकर बाल विवाह रोके जावे।
- पंचायत स्तर पर 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों (विशेष कर शाला त्यागी) की सूची तैयार कर निगरानी रखी जाना कि उनका बाल विवाह तो नही किया जा रहा है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बाल विवाह के विरूद्ध जगरूकता अभियान चलाया जावे।
- स्कूल में शिक्षकों की सहायता से छात्र/छात्राओं, माता/पिता/अभिभावकों के लिए बाल विवाह पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जावें।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल अधिकारों का प्रचार–प्रसार संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जावे।
- सामूहिक विवाहों में वर/वधु के आयु संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण किया जावे।
- सामूहिक विवाह के आयोजकों से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि वे आयोजन में बाल विवाह सम्पन्न नहीं करेंगे।
- जिले में एक भी बाल विवाह ना हो यह सुनिश्चित करने अक्षय तृतीया, देव उठनी ग्यारस व ऐसे अन्य विशेष दिवसों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जावें।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा बाल विवाह से संबंधित नियत कालिक विवरणियॉ और आंकड़े रखे जावे। (बाल विवाह प्रतिषेध अधि. की धारा 16 (च))

बाल विवाह की जानकारी– प्रपत्र –1

1. **बालक/बालिका जिसका बाल विवाह तय किया गया/विवाह किया जा रहा /विवाह किया गया, के माता/पिता/अभिभावक की जानकारी**

- बालक/बालिका के पिता का नाम, पता व फोन न. –
- बालक/बालिका के माता का नाम, पता व फोन. –
- माता /पिता के ना होने पर अभिभावक का नाम, पता व फोन न. –
- प्रमाणीकरण दस्तावेज (समग्र आईडी., आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य मान्य दस्तावेज) –
- बालक/ बालिका के माता/पिता/अभिभावक का व्यवसाय –

2. **बालक/बालिका जिसका बाल विवाह तय किया गया/विवाह किया जा रहा /विवाह किया गया का विवरण –**

- बालक/बालिका का नाम –
- बालक/बालिका की आयु –
- पता – 1) स्थाई –
  2) वर्तमान –
- प्रमाणीकरण दस्तावेज (उम्र संबंधी प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची आदि), समग्र आईडी, आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य मान्य दस्तावेज) –
- व्यवसाय–
- शिक्षा –

3. **बालक/बालिका जिसके साथ बाल विवाह तय किया गया/विवाह किया जा रहा /विवाह किया गया, के माता/पिता/अभिभावक की जानकारी**

- बालक/बालिका के पिता का नाम, पता व फोन न. –
- बालक/बालिका के माता का नाम, पता व फोन. –
- माता /पिता के ना होने पर अभिभावक का नाम, पता व फोन न. –
- प्रमाणीकरण दस्तावेज (समग्र आईडी, आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य मान्य दस्तावेज) –
- बालक/ बालिका के माता/पिता/अभिभावक का व्यवसाय –

4. **बालक/बालिका जिसके साथ बाल विवाह तय किया गया/विवाह किया जा रहा / विवाह किया गया का विवरण –**

- बालक/बालिका का नाम –
- बालक/बालिका की आयु –
- आयु प्रमाणीकरण का दस्तावेज (जन्मप्रमाण पत्र/स्कूल की अंक सूची/चिकित्सक का प्रमाण पत्र) –
- पता – 1) स्थाई –
  2) वर्तमान –
- पता प्रमाणीकरण दस्तावेज (समग्र आईडी, आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य मान्य दस्तावेज) –
- शिक्षा –
- व्यवसाय

5. **बाल विवाह की परिस्थितियों का संक्षिप्त सारांश –**

6. **अन्य जानकारी –**

दिनांक–नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान –बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

सील

.बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की रिर्पोट – प्रपत्र –2

- बाल विवाह की संक्षिप्त जानकारी –
- एक्ट अंतर्गत बालक/बालिका को दी जाने वाली राहत–
  1. अधिनियम की धारा 3 के अधीन –
  2. अधिनियम की धारा 4 के अधीन –
  3. अधिनियम की धारा 5 के अधीन –
  4. अधिनियम की धारा 13 के अधीन –

दिनांक–नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान –

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

सील

संलग्न–

1. प्रपत्र –1
2. आयु प्रमाण पत्र
3. पता प्रमाण पत्र
4. बाल विवाह की शिकायत (यदि लिखित में की गई हो)
5. अन्य दस्तावेज